संख्या:5/2017/296/49-3-2017-100(9)/2012टी0सी0।।।

प्रेषक,

राकेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता,उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक: 31मार्च, 2017

विषय-प्रीपोजीशनिंग योजना तथा सामान्य योजना की उर्वरकों के परिवहन पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति वर्ष 2016-17

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक: 669/कृषि निवेश/बी-287, दिनांक 06 मार्च, 2017, पत्रांक: 674/कृषि निवेश/बी-287, दिनांक 10 मार्च, 2017 एवं पत्रांक: 675/कृषि निवेश/बी-287, दिनांक 10 मार्च, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उर्वरक प्रीपोजीशनिंग योजनान्तर्गत रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण योजनान्तर्गत अनुदान दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 करोड़ (रू0 सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से प्राप्त प्रीपोजीशनिंग एवं सामान्य परिवहन क्लेम बिल मद में निम्न विवरण एवं शर्तो के अनुसार रू0 1,44,87,189.00 (रू0 एक करोड़ चौवालिस लाख सत्तासी हजार एक सौ नवासी मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है :--

परिवहन सम्बन्धी माहवार क्लेम बिल की प्रतिपूर्ति हेतु विवरण(धनराशि रू0 में)

नाम परिवहन समिति	क्लेम माह	रासायनिक उर्वरकों पर क्लेम धनराशि
पी0सी0एफ0	सितम्बर 2016	12330776.00
योग-		12330776.00
क्र0वि0 समिति रामपुर	नवम्बर 2016	39949.00
	दिसम्बर 2016	50361.00
योग-		90310.00
डी0सी0डी0एफ0 सहारनपुर	जनवरी 2017	393636.00
योग-		393636.00
डी0सी0डी0एफ0 बुलंदशहर	अक्टूबर 2016	13598.00
	नवम्बर 2016	207416.00
	दिसम्बर 2016	447623.00
	जनवरी 2016	266553.00
योग-		935190.00

----2/---

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र0वि0समिति आगरा	दिसम्बर 2016	91718.00
योग-		91718.00
जेफेड सीतापुर	नवम्बर 2016	1071.00
	दिसम्बर 2016	29913.00
योग-		30984.00
डीसीडीएफ मुजफफरनगर	दिसम्बर 2016	46938.00
योग--		46938.00
उ0प्र0सहकारी जूट एवं कृषि विकास संघ लि0 लखीमपुरखीरी	अप्रैल 2016	11858.00
	मई 2016	230420.00
	जून 2016	213992.00
योग--		456270.00
डीसीडीएफ गाजीपुर	जून 2016	98932.00
योग-		98932.00
डीसीडीएफ आजमगढ़	जनवरी 2017	12435.00
योग--		12435.00
महायोग-		1,44,87,189.00

कुल योग-रू0 1,44,87,189.00 (रू0 एक करोड़ चौवालिस लाख सत्तासी हजार एक सौ नवासी मात्र)

2- आयुक्त एवं निबन्धक,सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ एवं वित्त नियंत्रक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अपने स्तर से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत हुयी है और उक्त धनराशि को अन्य मदों में व्यय कदापि न किया जाय तथा यह भी पुष्टि कर ली जायेगी कि व्यय को प्रस्तावित अनुमोदित योजना के अनुसार ही स्वीकृत किया जा रहा है।

3- उक्त जारी वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था तथा संगत नियमों के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/ महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- वित्तीय वर्ष 2016-17 में शासनादेश संख्या-1/2016/ बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22मार्च, 2016 में प्राविधानित निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित की जाय।

----3/----

http://shasanadesh.up.nic.in

5- धनराशि के आहरण एवं व्यय से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत की जा रही धनराशि मा0 मंत्रि-परिषद के निर्णयों व शासनादेशों के अनुरूप है एवं व्यय के आगणन के सही, आगणन की शुद्धता तथा नियमानुसार होना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ को इस शासनादेश द्वारा निर्गत की जा रही धनराशि स्वीकृत धनराशि की अनुमन्यता का परीक्षण कर आडिट रिपोर्ट दिनांक 31-12-2017 तक उ0प्र0शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगें।

7- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-18 के अधीन लेखा शीर्षक "2425-सहकारिता-आयोजनेत्तर-00-800-अन्य व्यय-05- रासायनिक उर्वरकों का अग्रिम भण्डारण योजना-00-27-सब्सिडी " के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई-2-236/दस-2017, दिनांक: 31-3-2017 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राकेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 5/2017/296(1)/49-3-2017, तद्-दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: --

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय,उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता,उ0प्र0,लखनऊ।
4- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5- प्रबन्ध निदेशक,यू0पी0कोआपरेटिव फेडरेशन लि0,32स्टेशन रोड, लखनऊ ।
6- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, उ0प्र0(नवें तल), इन्दिरा भवन, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राकेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in